

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ जिला बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी-सीता शर्मा आर.ए.एस

मैनुयल केस न :-RS/2018/23

पोर्टल केस न :- 2018/00022

- 1 गिरवरसिंह पुत्र स्व. जयसिंह जाति राजपूत निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझनू हाल चक 15 केपीडी तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।
- 2 ओमपालसिंह पुत्र स्व. जयसिंह जाति राजपूत निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझनू हाल चक 15 केपीडी तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।
- 3 शिम्भूसिंह पुत्र स्व. जयसिंह जाति राजपूत निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझनू हाल चक 15 केपीडी तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।

वादी

बनाम

- 1 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व, छतरगढ़।

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीए व 136 एलआरए

उपस्थिती-वादी वकील एवं वादी स्वयं अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक:-

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। बार-बार रूककर आवाजें लगाई गईं। कोई उपस्थित नहीं आया। पत्रावली इसी स्तर पर अदम हाजरी/ अदम पैरवी में खारिज की जाकर पत्रावली बाद फैसल नम्बर दायरा से कम शुमार होकर दाखिल दफतर हों।

यह आदेश आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीता शर्मा)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छतरगढ़(बीकानेर)

